

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 30.7.12

—: आदेश :—

श्री चन्द्र राम जाटव, सहायक अनुभागाधिकारी (निजी सहायक), संसदीय सचिव (जाहिदा), शासन सचिवालय, जयपुर उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 4/92/09 सेवा निवृति दिनांक 31.7.2019 के आधार पर राजकीय आवास संख्या 4/74 गौड़ीनगर जयपुर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :—

शर्तः :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्ता रामज्ञा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्ताव करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल वैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलवटर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
4. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय।
5. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग।
6. प्रबन्ध निदेशक, साजकॉम, प्रथम ताल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वैब साइट पर अपडेट करने का अनु करावें।
7. अधिकारी अभियन्ता, साठनियोगी/जन स्वास्थ्य अभियोगी/जयपुर विभाग निगम लिय, गौड़ीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौड़ीनगर, जयपुर।
9. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि आवास का कब्जा तत्काल लेकर पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्राधिली।

शासन सहायक सचिव